

सेवा में

श्रीमान लोक सूचना अधिकारी / महाप्रबन्धक (सी.टी.यू.) महोदय
सौदामनी, प्लाट नं 0— 12, सेक्टर 29 गुरुग्राम, 122001

विषय:-सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा (6) के
अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने बाबत

महोदय,

उत्तराखण्ड ट्रांसमिशन पावर कॉरपोरेशन (KTR) के अन्तर्गत श्रीनगर-कोटद्वार से काशीपुर रम्पुरा, जिला उधम सिंह नगर के लिए प्रस्तावित 400 किलोवाट की पावर लाईन के सापेक्ष निम्न बिन्दूओं पर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें :—

- 1—क—एप्रूव्ड टॉवर प्रोफाइल (Approved Tower Profile)
- ख— जी.पी.एस. कोडिनेट (G.P.S. Coordinates)
- ग— गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification)
- 2— बासखेड़ा खुर्द काशीपुर जिला उधम सिंह नगर से सम्बन्धित :-
- क— पावर लाईन पर कार्य प्रारम्भ होने की तिथि, वर्ष सहित सेटेलाईट व भौतिक सत्यापन के मानचित्र की प्रमाणित प्रति ।
- ख— बासखेड़ा खुर्द के पावर लाईन का सर्वे सेटेलाईट व भौतिक सत्यापन के साथ, खसरा नम्बर सहित, मानचित्र की प्रमाणित प्रति
- ग— पावर लाईन पर कितनी बार सर्वे, सेटेलाईट व भौतिक सत्यापन के साथ किया गया अथवा सर्वे पर की गई आपत्ति, निस्तारण की प्रमाणित प्रति व निस्तारण करने वाले सक्षम अधिकारी की आख्या की प्रमाणित प्रति ।
- घ— कार्य प्रारम्भ होने से दिनांक 30.06.2023 तक बासखेड़ा खुर्द में दर्ज की गई आपत्ति व निस्तारण तिथि की प्रमाणित प्रति ।
- ङ— भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष विस्तृत विवरण ।
- च— पावर लाईन सर्वे के उपरांत लाईन पर बने मकान, घर व कारखाना आदि बनाने के उपरांत विभाग द्वारा कृत कार्यवाही की विस्तृत सूचना की प्रमाणित प्रति सहित ।
- छ— बासखेड़ा खुर्द के Goverment Officer का नाम, पता, व सम्पर्क नम्बर जो इस लाईन को सुपरवाइज कर रहे हैं ।

NR-I

उपरोक्त सूचना को की प्रमाणित प्रति पत्र प्राप्ति के 15 दिन में
उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

नोट:- इस प्रार्थना-पत्र के साथ 50/रुपये का पोस्टल आर्डर सं-
936-076345 संलग्न है। दिनांक 20.11.2023

दिनांक 20.11.2023

यशपाल सिंह घुट्र श्री गुमान सिंह
निवासी बासखेंडा खुर्द, काशीपुर
जिला ऊधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड
244713, मो- 9927083662